यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी (ITDA), देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी (ITDA), देहरादून के माह 02/2018 से 02/2021 वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनुज कौशल, श्री कपिल भाटी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.03.2021 से 26.03.2021 तक श्री बी.डी.सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1- **परिचयात्मकः**- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक **18.02.2018** से **01.03.2018** तक श्री एस.के.त्यागी**,** वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2018 से **02/2021** तक की अवधि की लेखापरीक्षा संपादित की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः देहरादून।

क्रियाकलापः- राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-गवर्नेंस परियोजना का क्रियान्वयन।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- समस्त उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्र।

(अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**	**समर्पण**
			स्थापना	**गैर स्थापना**			
2017-18	158.78	1224.02	122.57	948.83	-	311.40	41.66
2018-19	269.74	3818.08	166.91	2167.32	-	1753.59	111.42
2019-20	1642.18	3520.02	190.18	2537.65	-	2434.38	-
2020-21 (02/2021)	2434.38	1920.00	216.84	2043.64	-	2093.90	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**	**समर्पित**
2017-18	नेशनल ई-गवर्नेंस योजना	1704.62	97.74	53.58	-	1748.78	-
2018-19		1748.78	415.50	16.53	-	2147.75	-
2019-20		2147.75	78.55	972.79	-	1253.51	-
2020-21		1253.51	-	228.52	-	1024.99	-

इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन
निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी (ITDA) देहरादून
वित्त नियंत्रक सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी (ITDA) देहरादून

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी (ITDA) देहरादून के वर्ष 2018-19(02/2018) से 2020-21(02/2021) तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी (ITDA) देहरादून की लेखापरीक्षा मों पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह फरवरी 2019. फरवरी 2021 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग 2 अ

प्रस्तर -1: ITDA द्वारा यूजर चार्जेज रू 131.39 करोड़ की वसूली न किया जाना ।

उत्तराखंड शासन के आदेश दिनांक 21.05.2015 द्वारा यह प्रावधानित था कि विभिन्न विभागीय सेवाओं के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले कंप्यूटरीकृत प्रमाण पत्रों एवं अन्य G2C (Government to citizen) हेड से प्राप्त की जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध मे लिये जाने वाली यूजर चार्जेज की दरें निर्धारित की गई थी, जिसके अनुसार विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरीकृत प्रमाण पत्रों को जारी करने हेतु रू.30 प्रति प्रमाण पत्र निर्धारित किया गया था, जो कि संबन्धित प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जाएगा एवं कुल वसूल की गई राशि मे से तीन रूपये प्रति प्रमाण पत्र की दर से ITDA को उसके हिस्से के रूप मे चुकाया जाएगा। इसी क्रम मे ITDA द्वारा जनाधार केंद्र तथा Common Service Centre (CSC) स्तर पर कंप्यूटरीकृत प्रमाण पत्रों को जारी करने हेतु network service उपलब्ध करायी जा रही है जिसके विरुद्ध जनाधार केंद्र तथा CSC द्वारा रू.30 प्रति प्रमाण पत्र की दर से प्रमाणपत्र प्राप्त करता से यूजर चार्जेज वसूला जा रहा है । इस विषय पर, लेखापरीक्षा को ITDA द्वारा जनाधार केंद्र तथा CSC के माध्यम से प्रदान की गई सेवावों के संबंध मे प्राप्त किए गए यूजर चार्जेज के संबंध मे निम्न तथ्य संज्ञान मे आए;

(अ) **ई- डिस्ट्रिक्ट** से संबन्धित अभिलेखों और संस्था द्वारा प्रदान की गयी सूचना की नमूना जांच मे यह पाया गया कि संस्था द्वारा जनवरी 2017 से फ़रवरी 2021 तक कुल 2383106 प्रार्थना पत्र प्राप्त किये थे जिसका विवरण निम्नावत तालिका मे दिखाया गया.

Period	No. of applications received	Total amount recoverable	Amount received
01/2017 to 12/2017	546694	1640082	1311639
01/2018 to 12/2018	604408	1813224	
01/2019 to 12/2019	622125	1866375	
01/2020 to 12/2020	495889	1487667	
01/2021 to 02/2021	113990	341970	
	2383106	7149318	1311639

जैसा की उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ITDA ने कुल 2383106 प्रार्थना पत्र जनाधार केन्द्रों जो DeGS (District e- Governance Society) के अधीन है, से प्राप्त किये। जिस के सापेक्ष DeGS से ITDA को रु 71.49 लाख की धनराशि यूसर चार्ज के रूप मे प्राप्त करनी थी परन्तू DeGS ने केवल रु 13.12 लाख केवल वर्ष 2017 मे ITDA को वापस किये थे। इस प्रकार ITDA की रु 58.38 लाख की यूसर चार्ज धनराशि DeGS के पास लम्बित थी। अभिलेखों की जांच मे यह भी पाया गया कि DeGS की e- डिस्ट्रिक्ट application जो अप्रैल 2010 से प्रभावी है, ने 31.12.2016 तक 1868115 आवेदन पत्र के सापेक्ष रु 56.04 लाख की धनराशि (यूसर चार्ज) भी ITDA को नहीं दी गयी थी। इस तरह ITDA को DeGS से कुल रु 114.42 लाख की धनराशि यूसर चार्ज के रूप मे (58.38 + 56.04) लेखापरीक्षा तिथि तक वसूली हेतु लम्बित है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संस्था ने उत्तर मे कहा कि इस संदर्भ

मे समस्त ज़िलाधिकारी / अध्यक्ष DeGS को पत्र लिखकर संबंधित यूसर चार्जेज वापस किए जाने का अनुरोध किया जाना है।

(ब) CSC संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच मे यह पाया गया कि CSC द्वारा जनवरी 2017 से फ़रवरी 2021 तक कुल 3745807 प्रार्थना पत्र प्राप्त किये थे जिसका विवरण निम्न तालिका मे दर्शाया गया है।

Period	Applications received	Amount recoverable	Amount received	Difference (+ excess – less
01/2017 to 12/2017	491768	1475304	1175817.52	(-) 299486.48
01/2018 to 12/2018	858342	2575026	2189253.94	(-) 385772.06
01/2019 to 12/2019	797551	2392653	2051067.17	(-) 341585.83
01/2020 to 12/2020	1287028	3861084	3401882.95	(-) 459201.05
01/2021 to 02/2021	311118	933354	722391.24	(-) 210962.76
	3745807	11237421	9540412.82	1697008.18

जैसा की उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि CSC ने कुल 3745807 प्रार्थना पत्र अपने केन्द्रों के मध्यम से प्राप्त किये जिस के सापेक्ष उस ने रु 112.37 लाख की धनराशि ITDA के हिस्से के रूप मे प्राप्त की, जो कि उसे ITDA को समर्पित करनी थी। परंतु CSC-SPV द्वारा उक्त अवधि के लिये केवल रु 95.40 लाख की धनराशि ही ITDA को समर्पित की । इस प्रकार CSC/SPV ने ITDA के रु 16.97 लाख यूसर चार्ज की धनराशि ITDA को समर्पित नहीं की। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जने पर संस्था द्वारा उत्तर मे कहा गया कि सी0एस0सी / एस0पी0वी से कम धनराशि प्रेषित करने का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा।

उपरोक्त प्रकरणो से स्पष्ट है कि ITDA द्वारा अपने वित्तीय हितो की अनदेखी की जा रही है।अत: प्रकरण उच्च अधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर-2 : ई- डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेशन सॉफ्टवैयर का दोषपूर्ण होना।

भारत सरकारके अंतर्गत "**e District Mission Mode Project Under the National eGovernance Plan"जनवरी 2009** के अनुसार e District, NeGP के तहत 27 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। eDistrict का उद्देश्य जिला एवं तहसील स्तर तक computerization करना तथा G2C सेवाओ को जिला स्तर पर उपलब्ध करना है। ITDA द्वारा राज्य मे e Governance हेतु Network सेवाए प्रदान की जा रही है, इन सेवाओं को राज्य मे चलाने हेतु e-सॉफ्टवैयर की संरचना का निर्धारण ITDA के द्वारा किया जाता है। यदि सॉफ्टवैयर मे कोई दोष पाया जाता है, अथवा सॉफ्टवैयर मे कुछ भी अपडेट करना हो तो उसके लिए ITDA उत्तरदायी होगा। संस्था के द्वारा चलायी जा रही Network Services (Application Software) से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे निम्न कमिया संज्ञान मे आयी;

1- **ITDA द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएँ** 3 प्रकार से प्रदान की जाती है जैसे जनाधार केन्द्रों , CSC केन्द्रों तथा व्यक्तिगत उपयोगकर्ता (individual user) द्वारा ITDA की ई-डिस्ट्रिक्ट Portal पर login कर, सेवा प्राप्त की जा रही है। लेखापरीक्षा मे पाया गया कि जनाधार केन्द्रों एवं CSC केंद्रों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण तो संस्था के पास उपलब्ध था परन्तू व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं का विवरण मांगे जने पर संस्था द्वारा बताया गया कि ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेशन सॉफ्टवेर मे ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिस से व्यक्तिगत उपयोगकर्ता का कोई ब्योरा रखा जा सके और जिस से यह पता कर सके कि कितने लोगों ने सेवा प्राप्त की और आवेदन पत्र शुल्क कहाँ जमा किया। क्योकि यह एक गंभीर मामला है जिसमे ITDA द्वारा Online सेवाए प्रदान की जा रही है परंतु इन सेवाओ से संबन्धित डाटा, जैसे कुल online आवेदनों की संख्या, प्रति आवेदन पर प्राप्त शुल्क रू. 30 का विवरण तथा इसके लेखाकरण से संबन्धित सूचना आदि का कोई भी विवरण ITDA द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किए गए है। ई-डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टवेर मे इस दोष का ज्ञान होने के उपरांत भी संस्था द्वारा कोई भी सुधारात्मक उपाय नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संस्था द्वारा उत्तर मे बताया गया कि यह सुधार का क्षेत्र है जिस को सॉफ्टवेर अपडेट करते समय ध्यान मे रखा जायेगा। संस्था के उत्तर से लेखापरीक्षा अपति की स्वतः पुष्टि होती है।

2- e- district Uttarakhand **एक** web based application software **है** जिसके उपयोग की लेखापरीक्षा मे निम्नलिखित कमिया प्रकाश मे आई:

- इसमें इनपुट फील्ड कंट्रोल चेक (input field control check) नहीं है। उदाहरण के लिए, आधार number के फ़ील्ड में एंट्री वैल्यू हमेशा numeric होनी चाहिए, लेकिन ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर यह फील्ड अन्य

character वैल्यू लेने में भी सक्षम है। ऐसी ही स्थिति 'आवेदक का नाम', 'पिता/पति का नाम' वाले फील्ड मे कैरक्टर वैल्यू के साथ साथ numeric वैल्यू लेने में सक्षम हैं । यदि इन क्षेत्रों में input field control check लागू की जाती है तो यह ई-डिस्ट्रिक्ट डेटाबेस में गलत आवेदनों की संख्या को कम करेगा, जिससे सॉफ्टवेयर पर अनावश्यक बोझ भी कम होगा।

- ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में Duplicity Check उपलब्ध नहीं है। यदि Duplicity Check आधार नंबर या किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध होगा तो इससे duplicate entry का पता लगाना और रोकना भी आसान होगा और आवेदक एक बार से अधिक एक योजना (पेंशन, छात्रवृत्ति आदि जैसी योजना) का लाभ लेने में सक्षम नहीं होगा।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर ITDA प्रबंधन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नही दिया गया। अतः उपरोक्त तथ्यो से ज्ञात होता है कि ITDA द्वारा e District Uttarakhand के सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा है।

अतः ITDA के द्वारा प्रयुक्त किए गए software मे पायी गई कमियों को संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर-3 : स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का Third Party Audit न कराया जाना।

Under the National e-Governance Programme (NeGP) the Government of India issued '*Guidelines for Independent Third Party Audit (TPA) and Performance Monitoring of State Wide Area Network (SWAN).'* The guidelines envision appointment an **independent TPA agency** that shall perform the role of a Technology Partner to the State government in terms of all technical aspects of the SWAN. Further, the payment to the Network Operator is linked with the quarterly report of the TPA agency. Considering the scope of TPA, it is imperative that TPA agency should have high level of credibility, audit experience and background with adequate domain expertise in field of IT, Security Audits etc.

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्तमान में प्रदेश सरकार अथवा ITDA द्वारा SWAN का स्वतंत्र लेखापरीक्षण किए जाने के लिए किसी TPA की नियुक्ति नहीं की गई है। पुनः यह देखा गया कि;

1- पहले चरण में SWAN के up gradation मे वित्तीय वर्ष 2019-20 में ITDA द्वारा रू.15 करोड़ (लगभग) व्यय किया गया था, जिसमें से नेटवर्क उपकरणों, सर्वर और पीसी की आपूर्ति रू. 9.81 करोड़ शामिल है। TPA के अभाव मे आपूर्ति आदेश के अनुसार स्थापित किए गए उपकरणो का सत्यापन इस संबंध मे भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया जा सका।

2- टीपीए की अनुपस्थिति में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि ITDA के द्वारा SWAN को upgrade किए जाने में भारत सरकार द्वारा जारी सभी तकनीकी विनिर्देशों का पालन किया गया अथवा नही।

3- 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान आईटीडीए ने AO (Cash), BSNL देहरादून को बैंडविड्थ शुल्क के रूप में निम्न भुगतान किया;

Sl. No	Financial Year	Amount paid (in crore)	Remarks
1	2017-18	0.50	Band width cost
2	2018-19	3.27	
2	2019-20	5.10	
4	2020-21(up to Feb)	4.84	
Total		13.71	

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार TPA, बैंडविड्थ सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए लिंक की सक्रिय निगरानी करेगा और बैंडविड्थ सेवा प्रदाता को किए जाने वाले भुगतान के लिए संबंधित प्राधिकरण/ITDA को उसी पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा लेकिन ITDA ने बिना TPA के प्रमाणपत्र के BSNL को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 (फरवरी तक) तक रू. 13.71 करोड़ का भुगतान किया ।

लेखापरीक्षा मे इंगित किए जाने पर ITDA प्रबंधन द्वारा कहा गया कि SWAN के पुराने स्वरूप की TPA पूर्व मे की गई थी लेकिन SWAN के नए स्वरूप की की TPA हेतु प्रयास किया जाएगा। उत्तर मान्य नही है क्यूकि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के क्रम मे SWAN के सभी तकनीकी पहलुओं का TPA आवश्यक है, जो कि SWAN के प्रथम phase के upgradation के वाद अभी तक नही किया गया है। अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर-4: सोसाइटी द्वारा टीडीएस की अग्रिम कटौती रू. 3.65 करोड़, का वापस प्राप्त न किया जाना।

ITDA एक सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नही है, तथा जो सोसायटी अधिनियम, के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी है, इसलिए, इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 AA के अंतर्गत आयकर से छूट प्रदान गई है। अतः सोसाइटी को प्राप्त होने वाली सकल आय, आयकर से मुक्त है, परंतु सोसायटी के वित्तीय विवरणों की जांच के दौरान प्रकाश मे आया कि सोसाइटी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली निधियों पर टीडीएस की अग्रिम कटौती की गई थी जो निम्न प्रकार से है;

1- आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 24-12-2018 के अनुसार, 20 फरवरी 2019, को सोसाइटी के बैंक खाते से 2,94,80,699 / रुपये वसूल किए गए थे जिसके कारणों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि सोसायटी आयकर अधिनियम की धारा 139 के तहत निर्धारित आयकर रिटर्न और फॉर्म 10 को सही समय से प्रस्तुत करने में विफल रही।

2- सोसायटी के वित्तीय विवरण (2019-20), रू. 70.23 लाख की राशि को Bills receivable के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है;

(Amount in lakh)

Sl. N.o	Financial Year	Amount of TDS deducted at source	Remark
1	2008-09	21.75	TDS deducted by PNB on deposits
2	2009-10	10.95	TDS deducted by PNB on deposits
3	2013-14	12.56	TDS deducted by state govt on grants
4	2016-17	23.03	TDS deducted by BBNL for deposit work
5	2019-20	1.94	TDS deducted by Police Deptt for deposit work
Total		**70.23**	

आयकर विभाग द्वारा ITDA सोसायटी को वित्तीय वर्ष 2008-09 से आयकर के दायित्व से मुक्त किया गया है, फिर भी सोसाइटी आयकर विभाग से टीडीएस की अगिम कटौती को वापस प्राप्त करने में विफल रही, जो की विभिन्न विभागों द्वारा सोसाइटी को किए गए भुगतनों से TDS के रूप मे वसूल कर, आयकर विभाग मे जमा कराया गया था। अतः ITDA अपने कमजोर वित्तीय प्रबंधन के कारण आयकर विभाग से अपनी अगिम TDS कटौतियों जो कि वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2019-20 के दौरान की गई थी, को वापस प्राप्त करने मे विफल रहा।

लेखापरीक्षा मे पूछे जाने पर ITDA द्वारा लेखापरीक्षा आपति को स्वीकार करते हुये कहा गया है की उपरोक्त आयकर (Rs.2.95 crore) वापस प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे है परन्तु सोसाइटी के पक्ष मे प्राप्त होने वाली आय से की गई अग्रिम TDS कटौतियों (रू. 70.23 लाख), जो कि वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2019-20 के दौरान की गई थी की वापसी के संबंध मे सोसाइटी द्वारा कोई उत्तर नही दिया गया है। अतः ITDA के कमजोर वित्तीय प्रबंधन के कारण उपरोक्त निधियों रू. 3.65 करोड़ को अभी तक वापस प्राप्त नही किया जा सका। अतःप्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर..5: इसरों द्वारा रू. 32.76 लाख की सैटलाइट इंटरेकिटव टर्मिनल्स (SIT) की स्थापना न किये जाना।

उत्तराखण्ड के छात्रों को स्तरीय व सुलभ उच्च शिक्षा उपलब्ध करानें के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्विधालय (इग्नु) के सहयोग से एजूकेशन सैटेलाइट आधारित स्टेट नैटवर्क की स्थापना हेतु **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरों)** के माध्यम से उत्ताखण्ड के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में सैटलाइट इंटरेकिटव टर्मिनल्स (SIT) की स्थापना किये जाने था। प्रक्योरमेन्ट नियमावली 2017 के अध्याय 1 के बिन्दु 18 अनुसार केन्द्र सरकार के सार्वजिनिक उपक्रम हेतु अनुबन्ध के 40 प्रतिशत भुगतान किये जाने का प्रावधान है। शासनादेश में भी स्पष्ट प्रावधान था कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को इस शर्त के साथ निंवतन पर रखी जा रही है कि कृत कार्य हेतु पूर्ण धनराशि का भुगतान न करके आशिक धनराशि का ही भुगतान किया जायेगां और शेष अन्तिम किश्त का भुगतान तब ही किया जायेगा। जब कार्य की उपयोगिता को थर्ड पार्टी के मूल्यांकन कराकर एवं कार्य के संतोषजनक पाये जाने के बाद ही अन्तिम किश्त का भुगतान किया जायेगा। **पत्रांक सख्या IG/VC/05/134 dated 02 September 2005 के अनुपालन में** परियोजना के अन्तर्गत **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरों)** द्वारा देहरादून में स्टेट नेटवर्क प्रसारण केन्द्र स्थापित कर राज्य के 55 राजकीय महाविद्यालयो को सैटलाइट इंटरेकिटव टर्मिनल्स के माध्यम से प्रसारण केन्द्र से जोड़ा जाना था। 10 सैटलाइट इंटरेकिटव टर्मिनल्स (SIT) इसरों द्वारा मुफ्त (Free of Cost) लगाया जाना था। आई0टी0डी0ए. द्वारा इसरों को 45 (SIT) की स्थापना हेतु दो किस्तो में (रू. 58.50 लाख सितंबर 2005 एवं रू 79.76 लाख मई 2006) कुल रू. 138.26 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। आई0 टी0 डी0 ए द्वारा 45 (SIT) की स्थापना हेतु शतप्रशित भुगतान इसरो (कार्यदायी संस्था) को किया गया। आगे जाचॅ में पाया गयाा कि इसरो (कार्यदायी संस्था) द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में 55 के स्थान पर मात्र 42 सैटलाइट इंटरेकिटव टर्मिनल्स (SIT) की स्थापना की गयी। जबकि 03 SIT की स्थापना किया जाना शेष है। जिसका भुगतान इसरो को भुगतान किया जा चुका है। 10 (SIT) की स्थापना इसरों द्वारा free of cost किये जाना था। इस प्रकार अवशेष 13 SIT सम्प्रेक्षा अवधि (02/2021) तक राज्य के 13 महाविद्यालय में (रू 2.52 प्रति SIT×13) रू 32.76 लागत के (SIT) स्थापित नही किये जा सके। आई0 टी0 डी0 ऐ0 द्वारा इस सम्बन्ध मे (कार्यदायी संस्था) इसरों के मध्य किसी प्रकार का एम. ओ. यू. भी गठित नही किया जा सका। जिसके परिणम स्वरूप इसरों को भुगतान के 15 वर्ष की अधिक अवधि के पश्चात भी रू 32.76 लागत के 13 (SIT) महाविद्यालय में स्थापित हेतु लम्बित पड़े हैं। वर्तमान तक इसरो को अग्रिम धनराशी रू 138.76 लाख के सम्बन्ध में कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया जा सका है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अवगत कराया कि अवशेष (SIT) की स्थापना हेतु अनुरोध किया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्याकि नियमानुसार प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था को शतप्रति भुगतान न किये जाने का प्रावधान है एवं भुगतान से पूर्व इसरों (कार्यदायी संस्था) एवं प्राधिकरण में मध्य एम0ओ0यू गठित किया जाना चाहिऐ था।

अतः इसरों द्वारा रू. 32.76 लाख की सैटलाइट इंटरेकिटव टर्मिनल्स (SIT) की स्थापना न किये जाना का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो -ब

प्रस्तर-1: सोसाइटी के वित्तीय विवरणों को Generally Accepted Accounting Principles के अनुरूप नही बनाया जाना।

ITDA सोसाइटी के Bylaws के अनुच्छेद 25 के अनुसार सोसायटी के खातों की लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा ऑडिट किया जाएगा, जिसे सोसायटी के अध्यक्ष / सदस्य सचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तदनुसार, सोसायटी द्वारा नियुक्त CA द्वारा सोसाइटी की स्थापना से 2019-20 तक सोसायटी के तुलन पत्रों की लेखापरीक्षा की गई। इस संबंध में, ITDA के तुलन पत्रों मे देखा गया कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (depriciation) का प्रावधान न किया जाना तथा परिसंपत्तियों की अनुसूची में अचल संपत्तियों की उपयुक्त बुकिंग का भी नही किया जाने आदि के संबंध मे या तो सोसाइटी द्वारा नियुक्त CA द्वारा सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट में इन तथ्यों की अनदेखी की गई या इस संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं की गई है: जिसका विवरण नीचे दिया गया है;

Depreciation: Accounting Standard (AS)-6 किसी भी संगठन की अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास हेतु नियमित करता है। लेखापरीक्षा मे देखा गया कि सोसायटी की Balance Sheet (B/S) को संकलित करते समय, न तो लागू दर के अनुसार सोसायटी की अचल परिसंपतियों पर depreciation charge किया गया था, और न ही कोई Depreciation Reserve बनाया गया था। इस प्रकार, सोसायटी के B/Ss बनाने मे Generally Accepted Accounting Policy (GAAP) के प्रावधानों का पालन नही किया गया है।

Fixed Assets under SWAN were not accounted for: As per provisions of GAAP किसी संगठन से संबंधित सभी प्रकार की अचल संपत्तियों का विवरण संगठन की अचल संपत्तियों (AS -10) की अनुसूची में संकलित किया जाएगा। परंतु लेखापरीक्षा मे यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में SWAN परियोजना का NIC से ITDA मे स्थानांतरण किया गया था, फलस्वरूप, परियोजना से संबन्धित सभी अचल संपत्तियाँ भी ITDA को हस्तांतरित की गई थी जिनकी Book Value रु.17.54 करोड़ थी, परंतु इन परिसंपत्तियों को सोसाइटी की परिसंपत्तियों की अनुसूची मे प्रदर्शित नही किया गया जिससे परिलक्षित होता है कि सोसायटी के तुलन पत्र सोसाइटी की सही आर्थिक स्थिति को नही दर्शा रहे है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सोसाइटी के वित्तीय विवरण, निर्धारित संपत्तियों पर depreciation charge नहीं करने के साथ-साथ हस्तांतरित की गई परिसंपत्तियों को भी सोसाइटी के परिसंपत्तियों की अनुसूची मे प्रदर्शित नही कर रहे है, जिससे स्पष्ट होता है कि सोसायटी के लेखे, इसकी आर्थिक स्थिति का सही चित्रण नहीं कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा मे पूछे जाने पर प्रबंधन द्वारा कहा गया कि ITDA को आयकर विभाग द्वारा आयकर से मुक्त किया गया है, इस लिए Depreciation चार्ज नाही किया गया है उत्तर मान्य नही है, क्योकि ITDA की Balance Sheet उपयुक्त मानकों के अनुसार नही है। परियोजना से स्थानांतरित Assets के वारे मे कोई स्पष्ट उत्तर नही दिया गया है। अतः सोसाइटी के Financial Statement इसकी सही वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित नही करते है।

प्रस्तरः–2 सी0एम0 हैल्पलाईन योजना के अन्तर्गत शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में न किया जाना।

माननीय मुख्यमंत्री0 जी द्वारा जनता से सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन शिकायतों/समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 23 जनवरी 2019 को सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 का शुभारम्भ किया गया। वर्तमान में सी0एम0 हैल्पलाईन का कियान्वयन सूचना प्रौद्योगिकी भवन से किया जा रहा है। सी0एम0 हैल्प लाईन के अन्तर्गत दर्ज शिकयतों को सम्बन्धित विभागों को आनलाईन प्रकिया से प्रेषित किया जाता है इसके साथ–साथ Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System (CPGRAMS) का **सी0एम0हैल्प लाईन के साथ एकीकरण का निर्णय किया गया जिसके अनुसार** राज्य के लोक शिकायत निवारण हेतु संचालित विभाग के साथ अनिवार्य रूप से एकीकरण **कर 60 दिनों** के भीतर जन–शिकायतों का समाधान किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री हैल्पलाइन में जन–शिकायतों के निस्तारण से सम्बन्धित अधिकारियों को विभागों द्वारा शिकायत की प्रकृति/श्रेणी के अनुसार निम्न चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया हैः–

क्रस सख्या	पदनाम	स्तर
01	जिले में ब्लाक/तहसील लेबल के अधिकारी	प्रथम स्तर, L1
02	जिलाधिकारी/विभाग के जिला स्तर के अधिकारी	द्वितीय स्तर, L2
03	सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष	तृतीय स्तर, L3
04	सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	चतुर्थ स्तर, L4

विभागों द्वारा L1 के स्तर पर शिकायत निस्तारण हेतु 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है, जिसके अन्तर्गत निस्तारण का प्राथमिक दायित्व सम्बन्धित L1 का होगा। यदि L1के स्तर पर शिकायत का निस्तारण निर्धारित अवधि में नही होता है, तो शिकायत L2 के डैशबोर्ड पर अनुश्रवण हेतु दिखनी शुरू हो जायेगी, **फिर भी निस्तारण का प्राथमिक दायित्व L1 का ही होगा।** इस प्रकार विभाग द्वारा L2 एवं L3 हेतु भी 7–7 दिवसों की समय सीमायें निर्धारित की गयी है, जिसकी समाप्ति पर शिकायत उनसे उच्च स्तर के अधिकारी L4 के डैशबोर्ड पर अनुश्रवण हेतु उपलब्ध हो जायेगी, L4 के लिऐ भी समय सीमा 7 दिवस ही रहेगी। निस्तारण कर शिकायतकर्ता को सूचित किया जाना होता है, साथ ही निस्तारण उपरान्त पुनः सम्बन्धित शिकायतकर्ता से सन्तुष्टि हेतु फीडबैक लिया जाता है। तथा जिन अधिकारियों ने शिकायत प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर कोई भी कार्यवाही नही की और इस कारण बिना संमाधान के अगर यह शिकायत अगले स्तर पर चली गयी हो तों ऐसे लापरवाही के लिए अधिकारी के विरूद्व शासकीय कार्यवाही की जा सकती है।

कार्यालय निदेशक,सूचना प्रैधोगिकी विकास ऐजेन्सी (ITDA) देहरादून के सी0एम हेल्पलाईन से सम्बन्धित अभिलेखों की जाचॅ में पाया गया था कि राज्य में सी0एम0 हल्पलाईन के अन्तर्गत शिकायत के निस्तारण का समय अधिकतम 36 दिन है। आगे जाचॅ में पाया गया कि सी0एम0 हल्पलाईन के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों से (19/3/21 अवधि) तक विभन्न विभागों के कुल 92653

शिकायत दर्ज की गयी थी जिनमें से 39912 प्रकरणों का समाधन नही किया गया था। इसी प्रकार CPGRAMS के अन्तर्गत कुल 26132 शिकायत प्राप्त हुयी जिसमें से 8423 शिकायतों का समाधान अधिकतम समयवधि समाप्त होने के पश्चात भी नही किया गया था। इसके अतरिक्त सी0एम0 योजना के अन्तर्गत 6297 शिकायते ऐसी थी जों बिना एल–1 अधिकारी के निवारण के ही एल–2 के हस्तारण हो गयी जो कि गंभीर प्रकरण है

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर प्राधिकारण ने अवगत कराया कि शिकायतों को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को सम्बन्धित विभागों को पोर्टल के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जाता है, शासन द्वारा विभागाध्यक्ष एवं विभागीय सचिवों को पत्र प्रषित किये जाते है,

उत्तर मान्य नही है क्योकि **सीएम हैल्पलाईन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का** शासनादेश के अनुसार समाधान नही किया जा रहा है। अतः सी0एम0 हैल्पलाईन योजना के अन्तर्गत शिकायतों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर -3: क्षमता विकास फ़ेस-II योजना का अत्यंत धीमी गति से क्रियान्वयन करना तथा रु 150.42 लाख का अवरोधन।

भारत सरकार द्वारा क्षमता विकास फ़ेस-I योजना 2008 मे स्वीकृत की गई, जो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम को भारत वर्ष मे लागू करने की दिशा मे थी। इस योजना को जनवरी 2015 से 5 वर्षो के लिये विस्तार किया गया और योजना का नाम क्षमता विकास फ़ेस-II रखा गया तथा योजना को 31 मार्च 2017 तक पूरा करना था जो बाद मे बिना कोई वित्तीय सम्भावनाए सम्मालित करते हुये 31 मार्च 2021 तक विस्तरित किया गया था राज्य सरकार को योजना का फ़ेस-II लागू करने मे प्रमुख भूमिका निभानी थी। योजना मे धनराशि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 80 : 20 के अनुपात मे आवंटन करना था। भारत सरकार द्वारा रु 157.00 लाख (80 प्रतिशत) की धनराशि 10/2016 मे अवमुक्त की गई थी और राज्य सरकार द्वारा अपना 20 प्रतिशत रु 39.00 लाख 01/2018 मे अवमुक्त की गई। संस्था द्वार उक्त योजना मे व्यय निम्न तालिका के अनुसार किया:

Sl no	Fund received						(धनराशि करोड़ मे)	
	GoI	157.00	07/10/2016		196.00			
	State	39.00	20/01/2018					
		Expenditure						
	Component	Budget allotment	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Total	Balance
1	Technical Training and Thematic Workshop	5.88	3.07	1.65	.08	01.00	-	5.80	0.08
2	Apex/ Policy Level Sensitization and awareness Workshop	33.32	14.79	3.16	0.31	8.64	1.80	28.70	4.62
3	Specialized training Programmes/ Courses for State Officials / PeMTs/ SeMTs	117.60	0.17	0.60	1.00	1.39	7.38	10.55	107.05
4	Localization & Customization of Training	39.20	-	0.53	-	-	-	0.53	38.67
		196.00	18.03	5.94	1.39	11.03	9.18	45.58	150.42

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा विगत 5 वर्षो मे क्रम संख्या 3 एवं 4 पर ऊलेखित कार्यक्रम जो कि धनराशि आवंटन के अनुसार योजना के मुख्य घटक है पर केवल 8.97 प्रतिशत एवं 1.35 प्रतिशत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद व्यय किया गया । आभिलेखों की नमूना जांच मे यह भी पाया गया कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग कलैंडर बनाना एवं NeGD द्वारा चिन्हित संस्थाओं के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम करना था जो कि नहीं किया गया था। इस के अतिरिक्त Trainers Pool भी बनाना था जो कि नहीं बनाया गया तथा project e governance mission team (PeMT) का गठन करना था जो राज्य के Mission Mode Projects एवं ई गवर्नेंस कार्यक्रम को सहयोग देता जो कि नहीं बनाया गया था। इस से यह स्पष्ट हो रहा है कि संस्था योजना लागू करने मे कोई खास रुचि नहीं दिखा रही है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जने पर संस्था ने उत्तर मे कहा कि एजेंसी अगले वित्तीय वर्ष में दिशानिर्देशों के अनुसार क्षमता विकास योजना का उचित क्रियान्वयन और आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करेगी। संस्था के उत्तर से यह पुष्टि होती है कि योजना को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर-4: SWAN द्वारा प्रदान की जाने वाली नेटवर्क सेवाओं मे निरंतरता का अभाव।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार SWAN, राज्य मे एंड-टू-एंड नेटवर्क सेवा की उपलब्धता और इसकी स्वतंत्र निगरानी, राज्य भर में विश्वसनीय एवं निर्बाध नेटवर्किंग की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ई-गवर्नेंस के बुनियादी ढांचे के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कि एक प्रमुख आवश्यकता है। इस संदर्भ में नेटवर्क प्रदात की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि;

1- UKSWAN राज्य में 133 Point of Presence (PoP) के माध्यम से राज्य मे नेटवर्क सेवाएं प्रदान कर रहा है। UKSWAN द्वारा प्रदान की गई नेटवर्क सेवाओं की लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि कैलेंडर वर्ष 2020 में प्रति साइट औसत नेटवर्क डाउन दिनों की संख्या 31 थी अर्थात सभी PoPs पर वर्षभर मे 31 दिन नेटवर्क सेवाए बाधित रही।

2- जिला पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी मे SWAN संचालकों द्वारा बीएसएनएल को संबोधित कई शिकायतें हैं, जो खराब कनेक्टिविटी या लंबे समय तक कनेक्टिविटी नहीं होने के संबंध में की गई हैं, अतः नेट कनेक्टिविटी का प्रत्येक PoP पर सहजता से उपलब्ध न कराया जाना, सहज नेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं।

3- वर्तमान में, नेटवर्क सेवा की सहज एवं निरंतर उपलब्धता के संबंध में एक स्वतंत्र एजेंसी की कोई भी निगरानी रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराई है।

4- वर्तमान मे UKSWAN केवल BSNL से ही इंटरनेट सेवाएं ले रहा है, लेकिन बीएसएनएल द्वारा राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में निर्बाध एवं निरंतर सेवाएं प्रदान करने में बड़ी लापरवाही वर्ती गई, एसा होने पर भी ITDA द्वारा कोई वैकल्पिक सेवा प्रदाता को अनुबंधित नहीं किया गया है जिससे प्रदेश मे एक निर्बाध एवं निरंतर नेटवर्क सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

अतः उपरोक्त विंदुओ से स्पष्ट है कि UKSWAN राज्य मे एक निर्बाध एवं निरंतर नेटवर्क सेवा उपलब्ध करने मे पूर्ण रूप से सक्षम नही है।

लेखापरीक्षा मे इंगित किए जाने पर ITDA प्रबंधन द्वारा Poor Net Connectivity को स्वीकार करते हुये कहा गया है कि इस समस्या के समाधान करने हेतु ITDA द्वारा alternative band width प्रदाता पर विचार हेतु एक प्रस्ताव राज्य सरकार को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर-5: राज्य मे State Data Centre (SDC) की विलंब से स्थापना तथा रू 17.87 लाख के निष्फल व्यय के संबंध मे ।

भारत सरकार के National e- Governance Plan (NeGP) के अनुसरण मे सर्व प्रथम राज्य सरकार द्वारा राज्य मे 40 TB क्षमता के SDC स्थापित करने के लिए M/s Wipro Ltd. (Infotech Group) से एक करार रू 39.75 लाख मे, अगस्त 2008, मे किया गया जिसके अंतर्गत परियोजना की DPR बनाना तथा अन्य सहायक कार्य शामिल थे। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना की DPR को, जिसकी लागत रू 72.07 करोड़ थी , भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर भारत सरकार द्वारा रू 43.76 करोड़ की सस्तुति वित्तीय वर्ष 2010 मे दी गई तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रथम किस्त के रूप मे रू 3.56 करोड़ का अनुदान भी अवमुक्त किया गया। आगे इस परियोजना की लेखापरीक्षा के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश मे आए ;

1- ITDA द्वारा M/s Wipro Ltd. (Infotech Group) को जनवरी 2009 मे 17.87 लाख का भुगतान किया गया।

2- ITDA द्वारा पूर्व मे अनुमोदित DPR पर कोई कार्य नही किया गया।

3- ITDA द्वारा राज्य मे SDC के प्रथम Phase की स्थापना हेतु पुनः जनवरी 2018 मे रू 4.22 करोड़ के लागत की DPR विभागीय स्तर से बनाई गई जो राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित की गई । इस DPR के अनुसार राज्य मे 450 TB क्षमता के SDC के प्रथम Phase के स्थापना फरवरी 2019 मे हुई । इस परियोजना पर रू 3.38 करोड़ का व्यय भारत सरकार के अनुदान से किया गया।

4- ITDA द्वारा SDC के द्वितीय चरण की स्थापना हेतु राज्य सरकार को रू 5.0 करोड़ की DPR जो की विभागीय स्तर पर बनाई गई थी, दिसंबर 2018 प्रस्तुत की गई , जो राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित की गई। इस परियोजना की पूर्ण लागत रू 5.0 करोड़ का व्यय भी भारत सरकार के अनुदान से किया गया । इस परियोजना का कार्य वर्ष 2019-20 मे पूर्ण कर परियोजना द्वारा राज्य सरकार के अनेक विभागों को डाटा स्टोरेज की सुविधा प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि राज्य मे SDC की स्थापना मे inordinate delay किया गया , जबकि भारत सरकार द्वारा इस मद मे अनुदान वित्तीय वर्ष 2008- 09 से ही अवमुक्त किया गया था तथा ITDA द्वारा पूर्व मे अनुमोदित DPR के अनुसार कोई कार्य नही किया गया जबकि इस परियोजना की पूर्व मे M/s Wipro Ltd. (Infotech Group) द्वारा बनाई गई DPR के के क्रम मे ITDA द्वारा M/s Wipro Ltd. को 17.87 लाख का भुगतान किया गया , इस DPR के अनुसार कोई कार्य नही किया गया अतः यह व्यय निष्फल साबित होता है। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूछे जाने पर ITDA द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नही दिया गया ।

ITDA द्वारा SDC की स्थापना हेतु दोनों DPRs विभागीय स्तर पर वनायी गई तथा इनका अनुमोदन केवल राज्य सरकार से लिया गया यद्यपि इन परियोजनाओं के लागत का लगभग पूर्ण व्यय भारत सरकार के अनुदान से किया गया गया है फिर भी ITDA द्वारा इन DPRs का अनुमोदन भारत सरकार से नही कराया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूछे जाने पर ITDA द्वारा उत्तर मे कहा गया कि ITDA द्वारा DPRs की प्रतियाँ सूचनार्थ भारत सरकार को भेजी गई थी, उत्तर मान्य नही है क्यूकि ITDA द्वारा सम्पूर्ण कार्य, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से किया गया है अतः योजनाओं की DPRs भी भारत सरकार से अनुमोदित की जानी चाहिए थी। भारत सरकार द्वारा SDC स्थापना के संबंध मे पूर्व मे ही Guidelines जारी किए गए थे जिसमे SDC स्थापित करने के मानकों को स्पष्ट किया गया था परंतु ITDA द्वारा SDC की DPRs को भारत सरकार से अनुमोदन हेतु अग्रसारित नही किया गया था जिससे यह परिलक्षित नही होता है कि राज्य मे स्थापित SDC की स्थापना मे भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सभी मानकों को पूरा किया गया है । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राज्य मे SDC की स्थापना मे inordinate delay हुआ तथा रू 17.87 लाख का निष्फल व्यय किया गया । प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

प्रस्तर -6: दिशा निर्देशों की अनदेखी करते हुये रु 10.88 करोड़ का समर्पण न करना।

ई-डिस्ट्रिक्ट (MMP) परियोजना उत्तराखंड, के क्रियान्वयन हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आई0टी0डी0ए को तीसरी किस्त के रूप मे रु 14.54 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई (12.07.2016) यह धनराशि उत्तराखंड के 12 जनपदों मे ई – डिस्ट्रिक्ट परियोजना लागू करने के लिये दी गयी थी । अवमुक्त आदेश के नियम और शर्तें के अनुसार उक्त धनराशि वर्ष 2016-17 के अंत तक व्यय करनी थी एवं यदि कोई धनराशि वर्ष के अंत मे व्यय ना की गई हो को मंत्रालय को ब्याज सहित समर्पित करनी थी।

अभिलेखों के नमूना जांच मे यह पाया गया कि संस्था वर्ष 2016-17 मे उक्त धनराशि से केवल रु 3.66 करोड़ का ही व्यय कर पायी इस प्रकार उक्त धनराशि मे रु 10.88 करोड़ वर्ष 2016-17 के अंत तक व्यय नही हो पाये। नमूना जांच मे आगे यह भी पाया गया कि संस्था उक्त धनराशि को चार वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी व्यय नही कर पायी और ना ही इस धनराशि को मंत्रालय को दिशा निर्देशों के अनुसार वापस किया। संस्था वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक कुल रु 4.32 करोड़ ही व्यय कर पायी। लेखापरीक्षा तिथि (02/2021) तक ई-डिस्ट्रिक्ट (MMP) परियोजना के खाते मे रु 7.95 करोड़ पड़े थे जिस मे गत वर्षो की बची धनराशि भी शामिल थी। आभिलेखों से यह पाया गया के संस्था ने उक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज, रु 1.79 करोड़ भारत सरकार को समर्पित (11/2019) किये थे। संस्था द्वारा भारत सरकार से धनराशि वर्ष 2016-17 के आगे व्यय करने की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संस्था ने उत्तर मे बताया गया कि आगामी वर्षों मे उपरोक्त धनराशि के उपयोग हेतु स्वीकृति / अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। स्वीकृति प्राप्त न होने की दशा में धनराशि भारत सरकार को समर्पित की जा सकेगी। संस्था के उत्तर से लेखापरीक्षा अपति की स्वता पुष्टि होती है।

अत: प्रस्तर उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तरः7– प्रक्योरमेन्ट नियमावली को अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के फलस्वरूप रू 11.69 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेन्ट)नियमावली जुलाई 2017 के बिन्दु 3 अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्वान्त (10) में स्पष्ट प्रवधान है कि निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नही किया जाऐगा और **न** ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा। अध्याय 02 के बिन्दु 34 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर यदि क्रय की गयी सामग्री का मूल्य रू. 25000 से रू. 250000 तक हो तो क्रय की जाने वाली सामाग्री को विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जायेगा।क्रय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य प्रमाण पत्र देगे एवं अध्याय–2 के बिन्दु 35 में स्पष्ट प्रावधान है रू ढाई लाख से अधिक की सामग्रीयां एवं सेवाये निविदा के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय निदेशक सूचना प्रैधोगिकी विकास ऐजेन्सी (ITDA) देहरादून के वर्ष 02/2018 से 2020–21 (सम्पेक्षा अवधि 2/2021 तक) के बाउचर अभिलेखो की नमूना जॉच मे पाया गया कि इकाई द्वारा कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए नियमित अन्तराल में एवं एक ही तिथी को छोटे–छोटे भागों में विभक्त कर सामग्री का क्रय किया गया था। यदि सामग्री का क्रय टुकडों में नही किया होता तो निश्चित ही निम्न क्रय के लिए प्रक्योरमेन्ट नियमावली के अनुसार क्रय समिति या निविदा के माध्यम से करना पड़ता। नियामानुसार न किये गये सामग्री का विवरण निम्नवत हैः–

क्र0स0	फाईल न0	फर्म का नाम	बीजक संख्या	वर्ष	दिनांक	सामग्री का प्रकार	धनराशि	योग	प्रक्योरमेन्ट के अनुसार किया जाना चाहिऐ
01	595	मै आन्नद सिर्विसेज देहरादून मै आन्नद सिर्विसेज देहरादून मै पदम इलक्ट्रिक	069 070 1875	2017–18	22.03.18 23.3.18 17195	स्टेशनरी सामग्री	20675 14499	52369	क्रय समिति के माध्यम से क्रय किया जाना चाहिऐ था।
02	619	मै0 सिफी टैक्नालोजी	1916 1917	2018–19	10.04.19 10.04.19	अनुरक्षण कार्य	233238 244260	477498	निविदा के माध्यम से क्रय किया जाना चाहिऐ था।
03	89(I)	मै बाम्बेक्लासिक कारपेट	151 152	2017–18	16.0518 17.05.18	कार्यालय सामग्री	24600 24000	48600	क्रय समिति के माध्यम से क्रय किया जाना चाहिऐ था।
04	602 B	मै द प्रिन्टमाल	1748 1784	2017–18	19.06.18	कम्पयूटर सामग्री	238000 54400	292400	निविदा के माध्यम क्रय किया जाना चाहिऐ था। से
05	602	मै एक्टाट्रैक्नालोजी	012 013	2017–18	05.07.18 05.07.18		252508 61950	314558	निविदा के माध्यम से क्रय किया जाना चाहिऐ था।
योग								**1168230**	

इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राधिकरण द्वारा रू11.69 लाख की सामग्री क्रय करने में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नही किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर प्राधिकारण न अवगत कराया कि भविष्य में परिपालन किया जायेगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ती की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर–8: रू. 56.55 लाख की पुस्तकीय मूल्य की निष्प्रोज्य सामग्री निलामी न किये जाने से राजस्व का ह्रास होना एवं 267 निष्प्रोज्य आईटम की पुस्कीय मूल्य का उल्लेख न करना।

उत्तराखण्ड शासन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कार्यालय ज्ञाप मई 2016 निस्तारण निति के अनुपालन में निहित प्राविधान के अनुरूप सूंचना एवं संचार तकनीकी उपकरण (ICT) के अनुपयोग में निहित प्राविधान के अनुरूप स्थायी एवं सहवर्ती उपकरणों जिनकी क्रय अवधि 05 वर्ष से अधिक हो चूकी है एवं अब कियाशील नही है या निष्प्रोज्य द्योषित किये जा चूके है ऐसी सामग्री का निस्तारण किये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय निदेशक, सूचना प्रैधोगिकी विकास ऐजेन्सी, (ITDA) देहरादून के निष्प्रोज्य सम्बन्धित अभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि रू.56.55 लाख के पुस्तिकीय मूल्य के सूचना एवं संचार तकनीकी उपकरण (ICT) सामग्री विगत 5 से लेकर 16 वर्षो से अधिक समय से निष्प्रयोज्य पड़ी है। जिसका निस्तारण सम्पेक्षा अवधि (02/21) तक नही किया जा सका है। जिससे सामग्री के निरंतर हास्र से राजस्व क्षति से इंकार नही किया जा सकता। इसके अतरिक्त 267 आईटम सूचना एवं संचार तकनीकी उपकरण (ICT) अक्रियाशील है जिनकी पुस्कीय मूल्य का उल्लेख नही किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अवगत कराया कि शीध्र ही निष्प्रयोज्य की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ती की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो -"अ" प्रस्तर संख्या	भाग दो -"ब" प्रस्तर संख्या
1	106/2017-18	01	1,2,3,4,5,6,7,8

Note:- Kindly check the details of outstanding Para from headquarters' record.

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-	-	-	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य ----------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः --- ---------- **शून्य**

सतत् अनियमितताएः ---------- ----शून्य ----------

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रंम संख्या	नाम	पद नाम	कार्यकाल अवधि
1.	श्री अमित कुमार सिन्हा	निदेशक	26.05.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग(ITDA), उत्तराखण्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार/(ए.एम.जी.-III) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III